

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
गृह (सामान्य) विभाग
5 वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

क्रमांक F.6/01/2025/गृह (जी)/ 710
सेवा में,

दिनांक:- 26/03/25

उप. सचिव (प्रश्न एवं समिति)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के संबंध में जो दिनांक 27.03.2025 को पूछा जाना है।

महोदय,

कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां संलग्न हैं।

यह माननीय गृह मंत्री की पूर्व अनुमति से जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,



उप सचिव (गृह)

Deputy Secretary (Home)
Govt. of NCT of Delhi, 5th
Level, Secretariat, Delhi
Secretariat, M.V. Road, New Delhi

संलग्नक उपरोक्त अनुसार

विभाग का नाम : गृह विभाग

विभाग का पता: 5वीं मंजिल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय


विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 164

दिनांक : 27.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री विशेष रवि, माननीय विधायक

	प्रश्न		उत्तर
(क)	तिहाड़ जेल में ऐसे कितने कैदी हैं जो अपनी कोर्ट डेट पर वकील की फीस के पैसे नहीं होने के कारण डेट पर नहीं जा पाते हैं और अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं; और	(क)	दिल्ली की सभी जेलों में ऐसा कोई भी बंदी नहीं है जो अपनी कोर्ट डेट व वकील की फीस के अभाव में अपनी कोर्ट डेट पर नहीं जा पा रहा हो।
(ख)	ऐसे कैदियों की सहायता सरकार या तिहाड़ प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पूर्ण विवरण दें	(ख)	ऐसा कोई भी बंदी जो अपना केस नहीं लड़ सकता है या अपना वकील करने में असमर्थ है वह जेल में बने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) के द्वारा संचालित निशुल्क कानूनी सहायता केन्द्र में संपर्क कर सकता है और उसे इस प्राधिकरण के द्वारा वकील एवं मुकदमें से संबंधित कानूनी सहायता निशुल्क प्रदान कराई जाती है।

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।


Deputy Secretary (Home)
उप सचिव (गृह)
Level, C-Wing, Delhi
Secretariat, I.P. Estate, New Delhi

उप. सचिव (प्रश्न एवं समिति), दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054